सं०सं०–14 / विविध–20 / 2025

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

—: संकल्प :—

विषयः—बिहार राज्य त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के ईलाज हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य के नागरिकों, जिनकी वार्षिक आय 2,50,000 (दो लाख पचास हजार) रूपये तक है, के असाध्य रोगों के ईलाज हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष गठित है। इस सम्बन्ध में विभागीय संकल्प संख्या–271(14) दिनांक–15.02.2018 द्वारा अनुदान की राशि, असाध्य रोगों का निर्धारण एवं अनुदान स्वीकृति की प्रक्रिया निर्धारित है।

2. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बीमार होने की स्थिति में ईलाज हेतु मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की सुविधा नहीं होने के कारण ईलाज करने में कठिनाई हो रही है। विभागीय संकल्प संख्या–271(14), दिनांक–15.02.2018 के कंडिका–5 में प्रावधानित है कि उपर्युक्त सुविधा वैसे राज्य सरकार के लोक उपक्रमों के कर्मियों को भी यह सुविधा दी जा सकती है जो उपक्रम अकार्यरत हो या घाटे में हो या विघटन की प्रक्रिया में हो। वैसे कर्मी अपने उपक्रम में प्रबंध निदेशक के माध्यम से समिति को अपना आवेदन भेजेगें। उनके लिये आय सीमा की बाध्यता नहीं होगी।

3. उक्त के क्रम में इन जनप्रतिनिधियों को ईलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति पंचायती राज विभाग की अनुशंसा के उपरांत स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–271(14), दिनांक–15.02.2018 की कंडिका–4 में गठित समिति की समीक्षा में अनुमोदन के पश्चात् किया जायेगा। पंचायती राज विभाग को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान प्राप्त करने संबंधी आवेदन की अनुशंसा करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन के साथ–साथ सरकारी / सी०जी०एच०एस० से मान्यता प्राप्त अस्पताल द्वारा निर्गत अद्यतन मूल प्राक्कलन एवं चिकित्सा पूर्जा की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न हो। उपरोक्त दोनों कागजातों के संलग्न नहीं होने की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अग्रेतर कार्रवाई नहीं की जायेगी।

4. इन जनप्रतिनिधियों को ईलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के लिए अधिकतम आय सीमा की बाध्यता नहीं होगी।

5. पूर्व निर्गत स्वास्थ्य विभागीय सकल्प संख्या–271(14), दिनांक–15.02.2018 इस हद तक संशोधित समझे जायेगे।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० / –

(शंभू शरण)

सरकार के अपर सचिव।

E:\Section-14\Vikash\Sanlekh\CMRF\PANCHAYATI RAJYA MEMBER\Sankalp.docx 02-07-2025

ज्ञापांक–14 / विविध–20 / 2025 -1868 (14) **/स्वा०, पटना, दिनांक–** 04/7/2025

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई०–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार / अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार, पटना / मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना / अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सभी विभाग, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / बिहार विधान सभा / महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिलाधिकारी, बिहार / सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाये, बिहार, पटना / सभी अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बिहार / सभी प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, बिहार / सभी सिविल सर्जन, बिहार / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / सभी निदेशक, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, बिहार एवं अन्य सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री (स्वास्थ्य) के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव / अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव / सभी विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–अध्यक्ष / सभी सदस्य, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अधिकृत समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–01.07.2025 के मद संख्या–21 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

4/7/25

सरकार के अपर सचिव।